Dy No- 88/TK/2015
25/3/2015

3519/2015 3519_13/3/15

10 MAR 2015

सेवा में,

माननीय प्रधानंत्री जी एवम् जनसूचना अधिकारी
भारत सरकार
7, रोस कोर्स नई दिल्ली–110011

Sub: Application U/S 6-3(i)(ii)(iii) read with section 7 right to information Act 22 of 2005

मान्यवर,

प्रार्थी एक समाजसेवी के रूप में आर0टी0आई0 कार्यकर्ता है तथा गत सात वर्षों से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रीय राज्य सरकार शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करता रहता है। और लोगों की समस्याओं के ध्यान में रखकर सूचना का अधिकार कानून के तहत लोगों को जनसुविधाओं को जनता तक पहुंचाता रहता है।

चाही गयी जानकारी–

1. माननीय प्रधानमंत्री जी जो गिफ्ट में आपको प्रधानमंत्री बनने के बाद मिले सभी गिफ्टों को क्या आप द्वारा किसी संस्था को दिया अथवा मंत्रालय द्वारा दिया गया? जनहित में अवगत करायें।
2. → कितने गिफ्ट आपने और किसी को गिफ्ट दिये अथवा नहीं? जनहित में अवगत करायें।
3. कितने सोने के गिफ्ट और कितने चांदी के गिफ्ट तथा कपड़ों के अलावा लकड़ी के, तांबे के, पीतल के या और धातु के गिफ्ट आपको मिले उन सभी गिफ्टों को सार्वाजनिक किया गया कि नहीं? जनहित में अवगत करायें।
4. सम्पूर्ण गिफ्ट देने वालों की सूची जनहित में अवगत करायें।
5. कृपया सभी जवाब हिन्दी में दें।
6. कृपया अपनी अपील अथार्टी बतायें।
7. वैधानिक शुल्क – पोस्टल आर्डर सं0 28F958347
8. प्रार्थी का नाम – शैली खां पुत्र सिराज अहमद
9. पता – शॉप नं0 2, नवीन मार्केट चिड़ियाखाना, सब्जी मण्डी, रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

दिनांक: 5/3/2015

प्रार्थी

(शैली खां पुत्र सिराज अहमद)
समाजसेवी एवं आर0टी0आई0 कार्यकर्ता
नवीन मार्केट, चिड़ियाखाना
सब्जी मण्डी, रायबरेली
मो.नं. 09455610786

MEA
US(PCS)

IPO No - 28F958347 ₹10/-

URGENT
RTI ACT
No. 30026

By Registered Post

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

सत्यमेव जयते

Dated: 26.03.2015

No. Q/TK/551/01/2015

Shri Shaili Khan,
S/o Shri Siraj Ahmed,
Naveen Market,
Zoo, Sabji Mandi,
Raebareli, Uttar Pradesh

Subject: Information sought under RTI Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 05.03.2015 (received on 23 March from Prime Minister's Office) seeking information about the gifts received by the Prime Minister till date and other gift related queries.

2. It may be mentioned that Toshakhana deals with gifts received from foreign sources only. The reply to your aforementioned application is given herewith point wise :-

Point 1 : The details of all the gifts, including their location, received by the Prime Minister from foreign sources since his assumption of office in May 2014 upto 31st December, 2014 are available on MEA's website and can be seen on the following hyperlink:-

http://mea.gov.in/disclosure-of-gifts-received-in-toshakhana.htm.

O/c

Information on this website is uploaded on quaterly basis. However, information regarding names of the source countries cannot be disclosed as the Ministry of External Affairs has been allowed by CIC vide its order No. CIC/AD/C/2009/000802 dated 21st December, 2009 (available on CIC's website) **to sever the information about the name/s of the donor of the gift viz. the name/s of the countries which had presented the gifts** in terms of the provisions of Section 10 (1) of the RTI Act, 2005.

Point 2: As per the records, Toshakhana of this Ministry has no information on this point.

Point 3: The details of the gifts including their description are also mentioned in the above mentioned hyperlink i.e. http://mea.gov.in/disclosure-of-gifts-received-in-toshakhana.htm.

Point 4: Information regarding names of the source countries cannot be disclosed as the Ministry of External Affairs has been allowed by CIC vide its order No. CIC/AD/C/2009/000802 dated 21st December, 2009 (available on CIC's website) **to sever the information about the name/s of the donor of the gift viz. the name/s of the countries which had presented the gifts** in terms of the provisions of Section 10 (1) of the RTI Act, 2005.

3. In case you intend to prefer an appeal on the information provided by the under

mentioned CPIO, the same may be preferred to the Appellate Authority Shri Sugandh Rajaram, Director (Establishment), Room No. 4051, Jawaharlal Nehru Bhawan, 23-D, Janpath, New Delhi- 110011 within 30 days of receipt of this letter.

Hindi version will follow soon.

Yours faithfully,

(Rajesh Kapoor)
DS (Prop-II, OdÁ& Toshakhana) & CPIO

Copy to:- RTI Cell, Room No-2021, A- Wing,
Jawaharlal Nehru Bhawan, 23-D, Janpath, New Delhi .

पंजीकृत डाक द्वारा

सं. क्यू/टी.के./551/01/2015 दिनांकः 26.03.2015

श्री शैली खान,
सुपुत्र श्री सिराज अहमद,
नवीन मार्केट,
चिड़ियाघर, सब्जी मण्डी,
रायबरेली, उत्तर प्रदेश

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी ।

महोदय,

कृपया दिनांक 05.03.2015 के अपने आरटीआई आवेदन (जो प्रधानमंत्री कार्यालय से 23 मार्च को प्राप्त हुआ) का अवलोकन करें जिसमें आपने प्रधानमंत्री द्वारा अब तक प्राप्त उपहारों तथा उपहारों से संबंधित अन्य पूछताछ के बारे में जानकारी मांगी है ।

2. यह उल्लेखनीय है कि तोशाखाने में केवल विदेशी स्रोतों से प्राप्त उपहार ही रखे जाते हैं आपके ऊपरोल्लिखित आवेदन से संबंधित उत्तर बिन्दुवार नीचे दिए गए हैं :-

O/C

बिन्दु 1: प्रधान मंत्री द्वारा मई, 2014 में उनके कार्यभार ग्रहण करने के समय से 31 दिसम्बर, 2014 तक विदेशी स्रोतों से प्राप्त सभी उपहारों का ब्यौरा जिनमें उन उपहारों के प्राप्त होने के स्थान भी शामिल हैं, विदेश मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलव्ध है और इसे निम्नलिखित हाइपरलिंक पर देखा जा सकता है :-

http://mea.in/disclosure-of-received-intoshakhana.htm.

इस वेबसाइट पर सूचना तिमाही आधार पर उपलोड की जाती है । उपहार देने

वाले देशों के नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि विदेश मंत्रालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 10(1) के उपबंधों के अनुसार उपहार देने वालों के नाम अर्थात् उन देशों के नाम जिन्होंने उपहार दिए हैं, से संबंधित सूचना को अलग रखने के लिए सीआईसी द्वारा दिनांक 21 दिसंबर, 2009 (सीआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के आदेश सं0 सीआईसी/एडी/सी/2009/000802 के जरिए अनुमति दी गई है ।

बिन्दु विन्दु सं0. 2 : रिकार्डों के अनुसार इस मंत्रालय के तोशाखाने में इस बिन्दु से संबंधित कोई सूचना नहीं है ।

बिन्दु सं0. 3 : इन उपहारों के विवरण सहित इनका व्यौरा भी उपर्युक्त हाइपरलिंक अर्थात् http://mea.in/disclosure-of-received-intoshakhana.htm. पर मौजूद है ।

बिन्दु सं0. 4 : उपहार देने वाले देशों के नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि विदेश मंत्रालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 10(1) के उपबंधों के अनुसार उपहार देने वालों के नाम अर्थात् उन देशों के नाम जिन्होंने उपहार दिए हैं, से संबंधित सूचना को अलग रखने के लिए सीआईसी द्वारा दिनांक 21 दिसंबर, 2009 (सीआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के आदेश सं0 सीआईसी/एडी/सी/2009/000802 के जरिए अनुमति दी गई है ।

3. यदि आप निम्नलिखित सीपीआईओ द्वारा दी गई सूचना के विरूद्ध अपील करना चाहते हैं तो आप इस पत्र के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर इस मंत्रालय के अपीलीय अधिकारी श्री सुगंध राजाराम, निदेशक, (स्थापना), कमरा नं0. 4051, विदेश मंत्रालय, जवाहर लाल नेहरू भवन, 23-डी जनपथ, नई दिल्ली 110011 को अपील कर सकते हैं ।

भवदीय,

राजेश कपूर

(राजेश कपूर)

उपसचिव (प्रो-II,ओडीए तथा तोशाखाना) तथा सीपीआईओ

प्रतिलिपि :- आरटीआई सैल, कमरा नं. 2021, A- विंग, जवाहर लाल नेहरू भवन, 23-डी जनपथ, नई दिल्ली ।

Copies for information to:-

1) JS (Estt.)
2) Dir (Estt) & Appellate Authority
3) US (RTI)
4) US and CPIO, Prime Minister's Office